

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा में निम्नांकित प्रधानाचार्य-उमावि व समकक्ष स्तर के शिक्षा अधिकारी जो कि निलम्बन उपरान्त निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर में उपस्थिति दे रहे हैं, का कॉलम संख्या-3 में अंकित अवधि का निर्वाह भत्ता निर्देशानुसार कॉलम संख्या-4 में अंकित विद्यालय से आहरित किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। सम्बन्धित शिक्षा अधिकारी के कॉलम संख्या-3 में वर्णित अवधि में अनियोजित रहने सम्बन्धित पूर्ण जांच किये बिना, कार्मिक का निर्वाह भत्ता आहरित नहीं किया जावे :-

| क्रं.सं | कार्मिक का नाम पदनाम एवं पदस्थान सीन | अवधि (माह से माह तक) | विद्यालय का नाम जहां से निर्वाह भत्ता आहरित किया जाना है |
|---------|--|----------------------|--|
| 1 | श्री जोगाराम चौधरी, (वर्तमान निलम्बित) प्रधानाचार्य राउमावि प्रनविडा-बायतु बाडमेर (RJBM200505019664) | फरवरी-2022 का | राउमावि बालार (220491) - पोकरण जिला जैसलमेर |

सत्यमेव जयते

क्रमांक :: शिविरा-माध्य/संस्था/एबी/ए-2/जोगाराम चौधरी/2022/28 दिनांक : 27-05-2022
प्रतिलिपि निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही/पालनार्थ एवं सूचनार्थ प्रेषित है :-

- 1 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग मुख्यालय, संभाग जोधपुर।
- 2 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड हेतु।
- 3 सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बाडमेर/ जैसलमेर
- 4 सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक
- 5 सम्बन्धित कार्मिक/ संस्था प्रधान को पालनार्थ।
- 6 निजी पंजिका/ रक्षित पत्रावली हेतु।

(अजय कुमार वाजपेयी)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर